दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

§विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी§

बृहस्पतिवार 12 जनवरी, 1995/22 पौष, 1916 §शक§

संख्या. 144

सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को पुलिस उपायुक्त उत्तरी जिला, दिल्ली को सम्बोधित दिनांक 11.1.1995 का निम्नलिखित पत्र उसी दिन अर्थात्× 11 जनवरी, 1995 को प्राप्त हुआ था :-

"मुझे ससम्मान आपको यह सूचित करना है कि मैंने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुराने सचिवालय प्रांगण में नारेबाजी होने से रोकने के लिये पुलिस के विधिसम्मत् निदेशों की अवज्ञा करने के लिये पुराने सचिवालय प्रांगण में से श्री मुकेश शर्मा तथा श्री राज कुमार चौहान, विधायकों को हटाने के लिये निदेश देना अपना दायित्व समझा है ।

तद्नुसार उक्त विधायक आज अर्थात् 11.1.95 अपराह्न 3.30 बजे प्रांगण से हटाकर सिविल लाइन थाने में । घंटा 45 मिनट नज़रबन्द रखा गया और पुराना सचिवालय, दिल्ली के प्रांगण में नारेबाज़ी करने के लिये उनकी अपने समर्थकों सहित सहमति देने के पश्चात् उन्हें उसी दिन अपराह्न 5.15 बजे रिहा कर दिया गया ।

पी. एन. गुप्ता

सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General information relating to legislative & other matters)

Thursday, January 12, 1995/Pausa 22, 1916 (Saka)

No.144

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 11.1.1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Deputy Commissioner of Police, North District, Delhi was received on the same day i.e. 11th January, 1995 :-

" I have the honour to inform you that I have found it my duty in exercise of my powers u/s 65 of Delhi Police Act, 1978, to direct that Shri Mukesh Sharma and Shri Raj Kumar Chauhan, M.L.As be removed from the Compound of Old Secretariat for not obeying the reasonable directions of Police to desist from raising slogans in the Compound of Old Secretariat.

The above M.L.As were accordingly removed from the Compound at 3.30 P.M. today i.e. 11.1.95 detained at P.S. Civil Lines for One Hour and Forty-five minutes and released on the same day at 5.15 P.M. after they alongwith their followers agreed not to raise slogans in the Compound of Old Secretariat, Delhi."

P.N. GUPTA
SECRETARY